न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आपूर्ति अपील वाद संख्या–22 / 2011–12

20 / 2013

सरिता देवी

बनाम

राज्य (अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया।)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
6.9.2016	**आदेश** प्रश्नगत अपील अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश, जिसके द्वारा सरिता देवी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या–118ए0 / 2007 की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है, के विरूद्ध अंगीकृत है। स्वतः स्पष्ट आदेश में अंकित है कि दिनांक 05.11.2011 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली द्वारा संदर्भित विक्रेता के दुकान की जाँच की गयी तथा जाँच के क्रम कई गंभीर अनियमितता रेखांकित की गयी है। निरीक्षी पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 05.11.2011 से विदित है कि अपीलार्थी की दुकान कार्य अवधि में बंद पाया गया था, दुकान से संबंधित सूचना पट् प्रदर्शित नहीं था तथा अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा उपभोक्ताओं को उनके विरूद्ध शिकायत करने से रोक गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश में वर्णित है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली द्वारा प्रतिवेदित उक्त अनियमितताओं के आलोक में अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु अपीलार्थी द्वारा संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया :– *"अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली के द्वारा किये गये अनुशंसा एवं सरकार के अवर सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–5738 दिनांक 23.06.2011 में सार्वजनिक जन वितरण आदेश 2001 के कंडिका–7(Vii) में निलंबन शब्द को विलोपित करने के कारण श्रीमति सरिता देवी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता अलौली के अनुज्ञप्ति संख्या–118A/ 2007 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।"* अपीलार्थी द्वारा, अपील आवेदन के माध्यम से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अलौली के संदर्भित प्रतिवेदन, जिसपर अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की गयी है को अनुचित मानते हुए अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा यह भी कहा गया है कि अचानक बीमार होने के कारण समय के अभाव में दुकान बंद रखने की सूचना सक्षम पदाधिकारी को नहीं दी जा सकी। सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा समरूप तथ्यों की चर्चा की गयी है। अपीलार्थी द्वारा यह तथ्य भी प्रकाश में लाया गया कि उनके अनुज्ञप्ति संख्या वस्तुतः 119ए / 2007 है, जबकि अनुज्ञप्ति रद्द किये जाना का आदेश अनुज्ञप्ति संख्या–118ए / 2007 से संबंधित है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपीलार्थी के कथन का खंडन करते हुए अपील आवेदन को खारिज योग्य बताया है। अपीलार्थी द्वारा	

Received for Stiling 20/10/2016

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	कार्य अवधि में दुकान बंद रखना, बिना सूचना के दुकान बन्द रखना, परिवार के सदस्यों के द्वारा उपभोक्ताओं को व्यान देने से रोकना, सूचना पट उपलब्ध नहीं रहना तथा कुछ उपभोक्ताओं के कूपन को अपने पास रखना, गंभीर अनियमितता एवं अनुशासनहीनता का प्रतीक बताया है। वस्तु स्थिति के सम्यक विचारण हेतु निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। आदेश के पठन से स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी इस तथ्य से सहमत थे कि विक्रेता द्वारा दुकान संचालन में गंभीर अनियमितता बरती गयी है। कार्य अवधि में दुकान का बंद रहना तथा दुकान से संबंधित सूचना पट उपलब्ध नहीं रहना, गंभीर लापरवाही है तथा परिवार के सदस्यों के द्वारा उपभोक्ताओं को व्यान देने से रोकना, आपराधिक कृत्य के समरूप है। अपीलार्थी अपने बचाव के तर्कों से न्यायालय को संतुष्ट करने में विफल रहे हैं। अनुज्ञप्ति की संख्या लेखन में अंतर का प्रश्न व्यवहारिक प्रभाव की दृष्टि अंतर डालने योग्य नहीं हैं। अनुज्ञप्ति संख्या–119ए/2007 की जगह पर अनुज्ञप्ति संख्या–118ए/2007 का लेखन/अंकन हो गया है, परन्तु जिस दुकान की जाँच की गयी थी, जिस दुकान के विरूद्ध प्रतिवेदन समर्पित किया गया था तथा जिस दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी वो सरिता देवी की ही थी तथा व्यापार स्थल भी उसी से संबंधित था। इस प्रकार आदेश के प्रभाव में कोई अंतर नहीं है। उक्त स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी पारित आदेश ज्ञापांक–804 दिनांक 11.11.2011 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश को यथावत रखा जाता है। लेखापित एवं संशोधित जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया 6/9/16 जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया 6/9/16 डी0बी0....07 (40)... /विधि, दिनांक 06.9.2016 प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश की प्रति, जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। 6/9/2016 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया। 6/9/16	